

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या..... 84 / 2026
सं०सं० अ०नि० (02) 65 / 2025 / नि०सं०

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 283(24) दिनांक 02.02.2026 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश अदेयता प्रतिवेदन के आलोक में सुश्री पुष्पलता कुमारी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, बिहारशरीफ (नालंदा) को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत स्वयं की शादी हेतु दिनांक 01.12.2025 से 14.12.2025 तक कुल 14 (चौदह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -
(अजीत कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 65 / 2025 / नि०सं०..... दिनांक.....
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, बिहारशरीफ (नालंदा) / मुख्य अभियोजक, बिहारशरीफ (नालंदा) / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / सुश्री पुष्पलता कुमारी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, बिहारशरीफ (नालंदा) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / -
उप सचिव।

ज्ञापांक : अ०नि० (02) 65 / 2025 / नि०सं०..... 647 दिनांक..... 10/3/26
प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.3.26
उप सचिव।

Arakar